अन्त में इसका परिणाम क्या होता है?

जिस मामले में IGIS यह मानता है कि शिकायत उचित है या फिर कोई पूर्ण जाँच की रिपोर्ट किसी एजेन्सी की आलोचना करती है तो इस व्यक्ति को एजेन्सी के प्रमुख अधिकारी या उसके उत्तरदायी मन्त्री से सलाह मश्वरा करना चाहिए।

IGIS यह सिफ़ारिश कर सकती है कि एजेन्सी अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे या उसको बदले, अपने नियम व कार्यविधि को बदले, या फिर अपने निर्णय या कार्यवाही के परिणामस्वरूप जो भी हानि हुई है उसके लिए मुआवज़ा भरे।

यद्यपि संबंधित मन्त्री व एजेन्सी IGIS की सिफ़ारिश मानने के लिए बाध्य नही हैं पर आमतौरपर वे IGIS की सिफ़ारिश को मानते हैं। यदि मन्त्री व एजेन्सी द्वारा इस रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही से IGIS संतुष्ट नही है तो इसके बारे में वह प्रधान-मन्त्री व संसद से प्रतिवेदन कर सकता है।

आप IGIS से संपर्क कैसे कर सकते/ती हैं?

शिकायत करने के लिए कोई फ़ीस या खर्चा नहीं है और कोई औपचारिक कदम भी नहीं लेने पड़ते पर आमतौरपर आप से मामले के बारे में, अधिकाधिक जानकरी सहित लिखित में विवरण देने को कहा जाएगा।

यदि आप शिकायत करना चाहते/ती हैं तो आप IGIS को फ़ोन कर सकते/ती हैं या पत्र लिख सकते/ती हैं (हमसे संपर्क करने का विवरण अगले पृष्ठ पर देखें)।

यह बेहतर होगा कि आप शिकायत अंग्रेज़ी में करें।

आप IGIS से ई-मेल द्वारा भी संपर्क कर सकते/ती हैं, पर सुरक्षा हेतु हमारे लिए आवश्यक हो सकता है कि हम आपको पत्र डाक द्वारा भेजें।

IGIS से संबंधित अधिक जानकारी हमारी वेबसाईट (www.igis.gov.au)पर उपलब्ध है।

संपर्क करने के लिए विवरण

Inspector-General of Intelligence and Security
PO Box 6181
KINGSTON ACT 2604

फ़ोन : 02 6271 5692
फ़ैक्स : 02 6271 5696
ई-मेल : info@igis.gov.au
वेबसाइट : www.igis.gov.au

December 2005

IGIS
Inspector-General of Intelligence and Security

आस्ट्रेलिया की गुप्तचर व सुरक्षा कार्य से संबंधित एजेन्सियों के खिलाफ़ शिकायत करनी

IGIS कौन है?

गुप्तचर व सुरक्षा के इन्सपेक्टर-जनरल (IGIS) आस्ट्रेलिया की गुप्तचर व सुरक्षा कार्य से संबंधित एजेन्सियों की गतिविधियों का सर्वेक्षण व पुनरवालोकन करता है :

- आस्ट्रेलियाई सुरक्षा व गुप्तचर संगठन (ASIO)
- आस्ट्रेलियाई गुप्तचर सूचना सेवा (ASIS)
- रक्षा सिगनल निदेशालय (DSD)
- रक्षा चित्रण व भू-आकाश संगठन (DIGO)
- रक्षा, गुप्तचर संगठन तथा (DIO)
- राष्ट्रीय मूल्यांकन कार्यालय (ONA)

IGIS एक स्वतन्त्र व्यक्ति है जो गवर्नर-जनरल द्वारा नियुक्त किया जाता है। IGIS सभी अन्य एजेन्सियों से पूर्ण-रूप से पृथक है।

श्री ईएन कारनेल वर्तमान IGIS हैं जो 2004 में नियुक्त किए गए थे।

IGIS का क्या काम है?

1986 के गुप्तचर व सुरक्षा के इन्सपेक्टर-जनरल अधिनियम के अंतर्गत, IGIS आस्ट्रेलिया की सरकार, संसद तथा जनता को निष्पक्ष आश्वासन दिलाता है कि एजेन्सियाँ:

- अपनी गतिविधियाँ आस्ट्रेलिया के कानून के अनुसार संचालित करती हैं
- न्यायोचित रूप से व्यवहार करती हैं
- मन्त्रियों द्वारा दिए गए मार्ग-दर्शन व निर्देशों का पालन करती हैं, तथा
- मानव अधिकारों का सम्मान करती हैं।

IGIS:

- नियमित रूप से एजेन्सियों के कार्यालयों में जा कर उनके **अभिलेखों की जाँच करता है**
- एजेन्सियों की गतिविधियों से संबंधित **विशेष पूछताछ करता है**
- एजेन्सियों के विरुद्ध आई **शिकायतों** की जाँच-पड़ताल करता **है** तथा
- मन्त्रियों, प्रधान-मंत्री व संसद को जाँच-पड़ताल के परिणामों के संबंध में **रिपोर्ट भेजता हैं**

IGIS आपकी मदद कैसे कर सकती है?

गुप्त रूप से जानकारी एकत्र करने वाली एजेन्सियों - ASIO, ASIS, DSD or DIGO के खिलाफ़ आप शिकायत कर सकते/ती हैं।

जहाँ पर सख्त गोपनीयता संबंधी नियम लागू होते हो वहाँ पर भी (जैसे कि ASIO की पूछताछ करने व नज़रबन्दी वारन्ट) आप शिकायत करते समय IGIS को जानकारी दे सकते/ती हैं।

IGIS, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से संबंधित शिकायतों की जाँच-पड़ताल कर सकता है, जिसमें शामिल हैं:

- टेलीफ़ोन पर गैर-कानूनी रूप से कोई यंत्र लगा कर गुप्त रूप से बातें सुननी
- अनुचित रूप से निगरानी करनी
- तालाशी लेते समय अनुचित हरकत करना
- भर्त्ती करने के घटिया ढ़ग अपनाना
- वीज़ा के लिए सुरक्षा मूल्यांकन में विलम्ब करना, तथा
- पुरालेखागार में प्रवेश पाने हेतु आवेदन-पत्रों की जांच की व्यवस्था

IGIS आस्ट्रेलिया संघीय पुलिस या आप्रवासन प्रधिकरण से संबंधित शिकायतों की **जाँच-पड़ताल नहीं कर सकता**। इस क्षेत्र से संबंधित मामलों में **कॉमनवेल्थ के लोकपाल (Ombudsman)** मदद कर सकते/ती है

क्या सारी शिकायतों की जाँच-पड़ताल की जाती हैं?

किसी शिकायत की जाँच-पड़ताल करने का निर्णय लेने से पहले IGIS निम्नलिखित बातों पर विचार करता है:

- जिस मामले के बारे में शिकायत की गई है वह वास्तव में किसी गुप्त समाचार व सुरक्षा एजेन्सी से संबंधित है या नहीं
- यह घटना कितने समय पहले घटी थी
- क्या इस घटना से संबंधित एजेन्सी अपने आप से उस मामले पर पहले से ही पुनर्विचार तो नहीं कर रही
- क्या कोई और तो ऐसा नहीं जो इस मामले पर बेहतर तरीके से पुनर्विचार कर सके, तथा
- क्या यह मामला इतना गंभीर है कि इसकी जाँच-पड़ताल की जाए।

जब आप शिकायत करते/ती हैं तो क्या होता है?

आपकी शिकायत पर पूरा ध्यान दिया जाएगा।

जानकारी प्राप्त करने के लिए IGIS के पास विस्तृत अधिकार हैं और वो निम्नलिखित कार्यवाही कर सकती है:

- किसी भी व्यक्ति को विवश कर सकता है कि वह प्रश्नों के उत्तर दे तथा संबंधित कागज़ात पेश करे
- सशपथ गवाही लेना, तथा
- किसी भी गुप्त समाचार व सुरक्षा एजेन्सी के कार्यालय में प्रवेश करना।

यदि प्रारम्भिक पूछताछ करते समय थोड़ा बहुत या कुछ भी चिन्ताजनक नहीं नज़र आता तो IGIS सामान्यतः आपको कुछ ही सप्ताह में बता देगी।

यदि पूर्ण तहकीकात की आवश्यकता है तो जाँच-पड़ताल में अधिक समय लगेगा जो इस पर निर्भर करेगा कि कितनी जाँच-पड़ताल करनी पड़ेगी तथा कितने लोगों से बात-चीत करनी होगी।

IGIS द्वारा की जाने वाली जाँच-पड़ताल तथा तहकीकात गुप्त रूप से की जाती है क्योंकि वह आमतौरपर संवेदनशील राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों से समबद्ध होती है

जब कोई विशेष कारण नहीं होता तब सामान्य रूप से संबंधित एजेन्सी को उनके खिलाफ़ इस शिकायत के बारे में अवगत करा दिया जाता है जिससे की वह आरोपों से संबंधित मत प्रकट कर सकें। .

परन्तु, कोई भी सार्वजनिक रिपोर्ट जैसे कि संसद को प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट में आमतौरपर शिकायत करने वाले का नाम नहीं दिया जाता।